

11-02-2026

आधीवक्ता उमरपसकारान् उपस्थित। साक्ष्य
कादी में PW-3 शरीफ खाँ के बयान बनीश्वर श्री
मुँकेच उगार ने लेखक कर उस्तुत दिये। आधी
कादी अब मज्ज किसी भी साक्षी को परीक्षित
नहीं करवाना चाहते हैं, मज्ज साक्ष्य कादी सगृह
की जाली है। प्रकरण टारगेटेड फ़ैली का है। जागगी
पेची पर सभी उल्लिखित साक्ष्य के सनर्गमे
शपथ पत्र आवश्यक रूप से पेश करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य उल्लिखित लिंक
17-02-2026 को पेश हो।

जिला न्यायाधीश
सवाई माधोपुर (राज.)